न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 2018/00321 (199/2018)

इमीलाल पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी कोहला तहसील व जिला हनमानगढ ––अपीलांट

बनाम

1. पलीराम पुत्र धन्नाराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनमानगढ
3. रामेश्वरलाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी कोहला तहसीलदार व जिला हनुमानगढ ––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ निर्णय दिनांक 12.03.2017 प्रकरण संख्या 388/2016

उपस्थितिः–
श्री मनोज अरोड़ा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बहादुर राम स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः– 08.03.2019

संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में चक 2 जेआरके की 25 बीघा भूमि के संम्बन्ध में अप्रार्थी/अपीलाण्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की दखलअन्दाजी करने, करवाने व किसी प्रकार से रहन बैय मुन्तकिल करने से निषेद्ध रहने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 08.12.2016 जारी स्थगन आदेश को अपने आदेश दिनांक 12.03.2017 के द्वारा ताफैसला कन्फर्म किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट न यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली में दिनांक 14.07.2017 पेशी नियत थी। बिना पक्षकारान को बताये पत्रावली दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

2.05.2017 को रख दी जिसका पक्षकारान को नोटिस नही दिया गया। न ही क्षकारान के निवेदन पर पत्रावली राजस्व अभियान में रखी गयी बल्कि पक्षकारान की अनुपस्थित दर्ज कर बिना सुनवाई किये प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थी की गैर हाजरी में प्रकरण का निस्तारण अदम हाजरी में खारिज की जानी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। डिले कन्डोन की जावे। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभियान का सबको ज्ञान रहता है। अपीलाधीन निर्णय न्यायहित में पारित किया गया है। आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

रेस्पोडेण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया था। दिनांक 08.12.2016 को वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुनकर स्थगन आदेश पारित किया गया था और वास्ते अप्रार्थी की तलबी हेतु तारीख नियत की गई थी। कालान्तर में दिनांक 31.03.2017 को अप्रार्थी के अधिवक्ता के उपस्थित आने पर आगामी तारीख पेशी 29.05.2017 नियत की गई थी। इस बीच नियत तारीख से पूर्व ही दिनांक 11.05.2017 को पत्रावली पेशी में लेकर कैम्प चाहिलांवाली के लिए 22.05.2017 नियत कर दी गई। इस आदेशिका में दोनों अभिभाषक की अनुपस्थिति पर टिक का निशान लगाया गया है। दिनांक 12.05.2017 को आदेशिका में अंकित है कि उभयपक्ष उपस्थित नही। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे पूर्व में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा ताफैला कन्फर्म की जाती है। इस आदेशिका से स्पष्ट है कि स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलाण्ट का सुनवाई का अवसर नही मिला है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2017 खारिज किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

08/3/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official